

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सहायता अनुभाग रूम नं. 12 कलकट्टे समा

email Id- oicreliefswn@gmail.com

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/1425

दिनांक:- 24.09.2024

प्रशासनिक स्वीकृति

मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ /अत्यधिक वर्षा से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर के क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनःस्थापना हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों व आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक एफ.8(8)आ.प्र. एवं सहा/बाढ़/प्रस्ताव/2024/RAJKAJRef10507319 दिनांक 14.09.2024 के अनुसार बाढ़/अत्यधिक वर्षा से हुई क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु कुल 07 कार्यो हेतु राशि रुपये 17.46 लाख (सत्रह लाख छियालीस हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है, की पालना में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट मद 2245-02-122-02-01 के उपमद 21 से किया जावेगा।

क्रम संख्या	क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध/नहर/अन्य) का नाम	क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति का विवरण (लघु/मध्यम/बृहद परियोजना)	स्कीम का विवरण मय लोकेशन	नहर/बांध की लम्बाई	लघु परियोजना हेतु प्रति स्कीम 2.00 लाख एवं तटबंधो हेतु 60 हजार प्रति कि. मी.	कुल अनुमानित राशि (लाखों में)	जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर उपखण्ड का नाम	कार्यकारी संस्था/संस्था अधिकारी का नाम
1	मूई बांध	लघु	मुई बांध तहसील सवाई माधोपुर से 15 कि.मी.	कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त	2.00	2.00	ब्लॉक चौथ का बरवाडा	श्री अरूण शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग खण्ड सवाई माधोपुर
2	पांचोलास बांध	लघु	पांचोलास बांध तहसील सवाई माधोपुर से 22 कि. मी.	कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त	2.00	2.00		
3	गलाई सागर बांध	लघु	गलाई सागर बांध तहसील खण्डार से 3 कि.मी. दूर	बांध एवं नहर पर रेनकट	2.00	2.00	ब्लॉक खण्डार	
4	सांवटा एम.आई.टी.	लघु	सांवटा एम.आई.टी. तहसील खण्डार से 16कि. मी. दूर	बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट	2.00	2.00		
5	पीपल्दा एम.आई.टी.	लघु	पीपल्दा एम.आई.टी. खण्डार से 14 कि.मी. दूर	बांध के डाउन स्ट्रीम में रेनकट	2.00	2.00		
6	भगवतगढ़ बांध	लघु	तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर	बांध की पाल में रेनकट	2.00	2.00	ब्लॉक सवाई माधोपुर	
7	भगवतगढ़ बांध की नहर	लघु	तहसील सवाई माधोपुर से 20 कि.मी. दूर	0.00से 09.11 कि.मी. कैनाल बैंक क्षतिग्रस्त	0.60	5.46		
योग						17.46		

- स्वीकृत राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा निर्देश, तत्संबंधी नियम /निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूरी जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे।
- वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही मरम्मत कार्य प्रारंभ किये जावें। यदि बजट आवंटन से पूर्व कोई कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
- वे कार्य जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड के तहत आते हैं उनके मरम्मत एसडीआरएफ से देय नहीं है।
- स्वीकृत कार्यो को प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर -अंदर पूर्ण करना होगा।
- यदि विभागीय बजट में संधारण एवं मरम्मत मद में कोई राशि उपलब्ध है तो उसके पूर्ण उपयोग के बाद ही एस.डी.आर.एफ. में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जावेगा। उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे।
- कार्यो की तकनीकी स्वीकृति विभागीय नियमों के अनुसार जारी कर तकनीकी स्वीकृति एवं तकनीकी की एक प्रति 3 दिवस में इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
- तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही कार्य प्रारंभ कराये जावे।
- मरम्मत कार्यो का निरीक्षण भी उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जावेगा।
- स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने हैं व आवंटित राशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है
- तात्कालिक मरम्मत के कार्यो से संबंधित देनदरियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जावेगा।

12. विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

13. इस आशय का प्रमाण-पत्र भिजवावें की प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एवं जनसेवाओं के लिए निरंतर लिया जा रहा है।

(डॉ. खुशाल यादव)

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

दिनांक:- 24.03.2024

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/2426-31

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि तकनीकी स्वीकृति 3 दिवस में जारी की जाकर मय तकमीना इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।
4. उप जिला कलेक्टर, समस्त सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार समस्त, सवाई माधोपुर।
6. जिला जनसम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर।

जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर (राज०)

(आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा)

सहायता अनुभाग, रूम नं. 12, कलेक्ट्रेट, स.मा.

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/821

oicreliefswm@gmail.com

दिनांक:- 31/03/2025

भुगतान स्वीकृति आदेश

मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जल संसाधन विभाग सवाई माधोपुर की क्षतिग्रस्त बांध/नहरों की तात्कालिक मरम्मत एवं पुनः स्थापना हेतु इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/2425 दिनांक 24.09.2024 एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/3404 दिनांक 25.10.2024 द्वारा स्वीकृत कार्यों के बिल अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन विभाग, खण्ड सवाई माधोपुर के पत्रांक 5730 दिनांक 11.03.2025 द्वारा क्षतिग्रस्त बांध/नहरों के तात्कालिक मरम्मत एवं पुनः स्थापना के कार्य करवाये जाकर भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने के फलस्वरूप निम्न कार्यों के बिलों का निम्न विवरणानुसार बजट मद 2245-02-122-02-01 उपमद 21 से भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय राशि (रुपयों में)	कटोटियां						कटोटियों का योग	शुद्ध भुगतान योग्य राशि	संवेदक का नाम	कार्यकारी एजेंसी एवं उपखण्ड का नाम
				S.D.10%	I.TEX2%	GST2%	ROYALTY 1.5%	DMFT 10%	LWC1%				
1	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF BHAGWATGARH MAIN CANAL	5.46	527102	52710	10542	10542	7907	791	5271	87763	439339	M/S JAFRUDDIN CONTRACTOR A/C NO.- 61058823172 IFSC CODE- SBIN0031826	जल संसाधन विभाग, सवाई माधोपुर
2	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF MUI DAM & MAIN CANAL	2.00	193794	19379	3876	0	2907	291	1938	28391	165403	M/S VAJID CONSTRUCTION COMPANY A/C NO.- 3182015280 IFSC CODE- CBIN0283918	
3	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF MAIN CANAL EMBANKMENT PANCHOLAS DAM	2.00	193666	19367	3872	0	2905	291	1936	28371	165295	M/S DAYMA CONSTRUCTION COMPANY A/C NO.- 1086104000009379 IFSC CODE- IBKL0001086	
4	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF CANAL SERVICE BANK OF GOVIND PURA MINOR GALAI SAGAR DAM	2.00	194179	19418	3884	0	2913	291	1942	28448	165731	M/S RIJWAN AHMAD CONTRACTOR A/C NO.- 61126958784 IFSC CODE- SBIN0031077	

5	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF EARTHEN EMBANKMENT OF SAWATA MIT	2.00	196972	19697	3939	0	2954	295	1970	28855	168117	M/S JAFRUDDIN CONTRACTOR A/C NO.- 61058823172 IFSC CODE- 58IN0031826
6	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF D/S PROTECTION WORK OF WASTE WEIR PIPALDA MIT	2.00	192875	19288	3858	0	2893	289	1929	28257	164618	M/S KHALID A/C NO.- 3123151971 IFSC CODE- CBIN0283918
7	URGENT REPAIR WORK OF FLOOD DAMAGE OF BHAGWATGARH DAM	2.00	191627	19163	3833	0	2874	287	1916	28073	163554	M/S TIRUPATI CONSTRUCTION COMPANY A/C NO.- 4857201000103 IFSC CODE- CNRB0004857
TOTAL		17.46	1690215	169022	33804	10542	25353	2535	16902	258158	1432057	

केन्द्रीय सहायता 75 % राशि रुपये – 1267661 / –
राज्य सहायता 25 % राशि रुपये – 422554 / –

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/822-26

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान शासन सचिव आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सवाई माधोपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, खण्ड सवाई माधोपुर।
4. लेखा शाखा/बिल शाखा कार्यालय हाजा।
5. संवेदक मैसर्स -----

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
दिनांक:- 31/03/2025

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर(राज0)

सहायता अनुभाग रूम नं. 12 कलेक्टर समा

email id- oicreliefswn@gmail.com

क्रमांक:- सहा./बाढ़/क्षति.परि/2024/928

दिनांक:- 08.04.2024

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसडीआरएफ मद में डीएमआईएस पोर्टल पर बजट आवंटन कराने बाबत्।
प्रसंग:- श्रीमान के पत्रांक राजकाज नं. 14545448 दिनांक 03.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2024 संवत् 2081 में खरीफ फसल खराबा, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की तात्कालिक /अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु निम्नानुसार प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।
उक्त स्वीकृति की पालना में संवत् 2081 में खरीफ फसल में अतिवृष्टि से प्रभावित होने के कारण दो राजस्व ग्रामों(मैनपुरा, धनोली) को आदान-अनुदान वितरण किया जाना था जिसके बिल इस कार्यालय से कोष कार्यालय को प्रेषित किये जा चुके थे, किन्तु उक्त बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है एवं क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की तात्कालिक /अस्थाई मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु कार्यकारी एंजेन्सी द्वारा प्राप्त बिल अनुसार उक्त बिलों का भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किया जाकर एवं बिल तैयार कर भुगतान हेतु कोष कार्यालय को भिजवा दिये गये थे जिनको कोषालय द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व पास भी किया जा चुका था किन्तु उक्त बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 में ECS नहीं हो पाये जिससे काश्तकारों/संवेदकों को भुगतान नहीं हो सका।

कृपया निम्न तालिका के बिन्दु संख्या 05 अनुसार संबंधित बजट मद में बजट आवंटन कराने का श्रम करावें।

क्र. सं.	विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति	पूर्व में जारी बजट आवंटन संख्या व दिनांक	बिल नम्बर	बिल राशि	कार्यकारी एंजेन्सी	बजट मद
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकाज संख्या 12185632 / 03.12.2024	00003404 / 30.01.2025	54343106	2441869	जल संसाधन विभाग	2245-02-122 -02-01-21
2	राजकाज संख्या 10507319 / 14.09.2024	00003211 / 10.10.2024	54370983	1690215	जल संसाधन विभाग	2245-02-122 -02-01-21
3	राजकाज संख्या 10507317 / 14.09.2024	00003196 / 25.09.2024	54275615	7417525	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2245-02-106 -08-01-21
4	खरीफ फसल खराबा (संवत् 2081)	00003520 / 18.03.2025	54183019	2556915	काश्तकारों को अनुदान वितरण हेतु राशि	2245-02-114 -09-01-12
5	खरीफ फसल खराबा (संवत् 2081)	00003521 / 18.03.2025	54183045	1577855		2245-02-114 -10-01-12
6	राजकाज संख्या 12185644 / 03.12.2024	00003403 / 30.01.2025	54373439	4093994	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2245-02-106 -08-01-21
7	राजकाज संख्या 12913959 / 10.01.2025	00003451 / 14.02.2025	54373020	1033508	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2245-02-106 -08-01-21

(संजय शर्मा)
अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर